



यू०पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लॉक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/99/2017

दिनांक : 27.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

प्रेस विज्ञप्ति

आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हाल ही में सरकार द्वारा बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने की घोषणा की गई है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। यह बैंकों को कुछ राहत अवश्य प्रदान करेगा परन्तु यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने इस विषय पर 26.10.2017 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

साथी सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

26.10.2017

- बैंकों के पूंजीकरण पर सरकार की घोषणा
- सिरदर्द के लिए कुछ राहत लेकिन कैंसर (एनपीए) के लिए इलाज नहीं है
- खराब ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है

बैंकों में उभरते हुए संकट की प्रतिक्रिया में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी की घोषणा की है। इसमें कोई संदेह नहीं, यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि बैंक पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं और यह अतिरिक्त पूंजी उन्हें कुछ और ऋण देने में मदद करेगी। लेकिन ये स्वयं बैंकों को गड़बड़ी से बाहर आने मदद नहीं करेगा जिसमें वे अब हैं। सभी बैंक बढ़ते खराब ऋणों/गैर निष्पादित ऋणों की समस्या का सामना कर रहे हैं।

वर्ष	सकल खराब ऋण
2011	74,664 करोड़
2012	1,17,000
2013	1,64,461
2014	2,16,739
2015	2,78,877
2016	5,39,955
2017	6,41,000
अब	8,00,000 करोड़

यदि पुर्नगठित ऋणों को जोड़ा जाता है, तो कुल एनपीए रू0 15 लाख करोड़ से अधिक है।

इन खराब ऋणों का बड़ा हिस्सा बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों का योगदान है जिनमें से कई जानबूझकर और इरादतन चूककर्ता हैं। बड़े ऋण लेना और उसका भुगतान नहीं करना एक उत्तम कला बन गई है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा और वे सरकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लेंगे।

क्योंकि खराब ऋण चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहे हैं, बैंकों को मुनाफे से बड़े प्रावधान करने के लिए मजबूर किया जाता है और पूंजी का आंतरिक उत्पादन रोकने के लिए मुनाफा घट जाता है।

उदाहरण के लिए, 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन निम्न प्रकार था :

कुल अर्जित सकल लाभ	खराब ऋणों, आदि के लिए प्रावधान	प्रकाशित शुद्ध लाभ
1,58,982 करोड़	1,70,370 करोड़	- 11,388 करोड़

बैंकों द्वारा अर्जित पूरा लाभ खराब ऋणों के लिए प्रावधान करने में चला गया। इसलिए पूंजी का अपक्षरण होता है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतिरिक्त पूंजी देना एक तत्काल अल्पावधि समाधान है। लेकिन खराब ऋणों की वसूली वास्तविक दीर्घकालिक समाधान है। इसीलिए हम सरकार से खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर उपाय करने की माँग कर रहे हैं। लेकिन सरकार कॉर्पोरेट चूककर्ताओं पर कार्रवाई करने की अनिच्छुक है।

जानबूझकर और इरादतन चूककर्ताओं को आपराधिक अपराधी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बजाय सरकार दिवालिया कार्यवाही करने के लिए बैंकों को मजबूर कर रही है जिसके द्वारा ऋण वसूल नहीं किया जायेगा और दोषी कम्पनी ऋण चुकाने की अपनी जिम्मेदारी से बचने में सक्षम हो जायेगी।

आरबीआई ने यह स्वीकार किया है और इसीलिए वे गंभीर सजावटी छंटनी और बलिदान स्वीकार करने और इन खराब ऋणों की ओर बड़ी राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को कह रहे हैं। केवल 12 कॉर्पोरेट कम्पनियों ने रू0 2,53,000 करोड़ की चूक की है।

1. भूषण स्टील	44,478 करोड़
2. भूषण पावर एण्ड स्टील	37,248
3. लैन्को इन्फ्रा	44,364
4. एस्सार स्टील	37,284
5. आलोक इण्डस्ट्रीज	22,075
6. एमटेक ऑटो	14,074
7. मोनेट इस्पात	12,115
8. इलेक्ट्रोस्टील स्टीलस	10,273
9. एरा इन्फ्रा	10,065
10. जेपी इन्फ्राटेक	9,635
11. एबीजी शिपयार्ड	6,953
12. ज्योति स्ट्रक्चर्स	5,165
	2,53,729 करोड़

इसलिए इस वर्ष भी, बैंका का पूरा मुनाफा इन खराब ऋणों के लिए प्रावधान करने के लिए निकाले जाने की संभावना है। इस प्रकार बैंक एक संकट क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कठोर कार्यवाही करने और धन की वसूली करने की शीघ्र आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट चूककर्ताओं पर कार्रवाई को टालने के लिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने का नरम विकल्प चुना है।

सरकार खराब ऋणों की बढ़ती हुई तादाद को ढकने के लिए विलयों के माध्यम से हमारे बैंकों को बड़ा बनाने की भी बात कर रही है। हमारे देश में, हमें आम गरीब लोगों की मदद के लिए अच्छे बैंकों की आवश्यकता है और बड़े बैंकों की कोई आवश्यकता नहीं है जो अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों में जोखिम भरे साबित हुए हैं। भारत ऐसे प्रयोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुमूल्य बचतों के साथ व्यवहार कर रहे हैं।

बैंकों को तत्काल राहत के रूप में बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने के निर्णय का स्वागत करते हुए, हम मांग करते हैं

- चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित किये जायें
- बैंक ऋण चूककर्ताओं को चुनाव लड़ने अथवा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोका जाए
- खराब ऋणों को वसूली के लिए कठोर उपाय किये जायें
- जानबूझकर चूक को फौजदारी अपराध घोषित किया जाये और आपराधिक कार्यवाही की जाये
- इन बड़े खराब ऋणों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाये

हम खराब ऋणों की वसूली करने और बट्टे खाते न डालने की मांग करते हैं। हमें इलाज की जरूरत है और सिर्फ राहत की नहीं।

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री